**संख्या-170/2016/462जेपीआर/22-3-16-800(268)/2012**

**प्रेषक,**

**हरि नारायण गिरि,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**जिला मजिस्ट्रेट,**
अलीगढ़।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2016***

**विषय-** केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी रनवीर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी-ग्राम-ल्हौसरा, थाना-लोधा, जिला-अलीगढ़ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी रनवीर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी-ग्राम-ल्हौसरा, थाना-लोधा, जिला-अलीगढ़ को शासनादेश संख्या-87/2016/373जेएल/22-3-16-800(268)/2012, दिनांक 05-03-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

**संख्या-170/2016/462जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा। **(फैक्स नं0-0562-2603093)**
4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in